दिनांक– 28.05.2019 को आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की स्थायी वित्त समिति के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री चैतन्य प्रसाद — प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग — अध्यक्ष
2. श्री जय प्रकाश मंडल — आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग — सदस्य
3. श्री कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल — उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग — सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय बजट उपबंध के स्कीम अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत नगर प्रबंधको का मानदेय एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते मद में उपबंधित राशि के सहायक अनुदान के रूप में व्यय हेतु समिति द्वारा विचार किया गया। विचारोपरांत निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता मद, नगर प्रबंधको का मानदेय तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते अंतर्गत निम्नलिखित विपत्र कोडों में बजट उपबंध की राशि के सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति की अनुशंसा की गई :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	मद का नाम	विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध की कुल राशि	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध की राशि के अनुरूप व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता	48-2217011910106	35.00	35.00
		48-2217031910102	190.00	190.00
		48-2217031920102	385.00	385.00
		48-2217031930102	290.00	290.00
		योग	**900.00**	**900.00**
2	नगर प्रबंधको का मानदेय	48-2217801910015	51.28	51.28
		48-2217801920008	157.78	157.78
		48-2217801930007	51.28	51.28
		योग	**260.34**	**260.34**
3	नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते	48-2217031920013	392.00	392.00
		48-2217031930012	575.10	575.10
		योग	**967.10**	**967.10**

2. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ– 5 में अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को तथा नगर प्रबंधकों का मानदेय एवं कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की अधियाचना विभाग में प्राप्त होने के उपरांत वैसे नगर निकायों को राशि आवंटित की जाएगी, जिनसे 18 माह पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है।

3. उपरोक्त क्रमांक– 1 एवं 3 पर अंकित मद की राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रु०) से अधिक है तथा ₹1500.00 लाख (पंद्रह करोड़ रु०) से कम है, इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या– 2199, दिनांक– 24.03.2017 के प्रावधानों के आलोक में समिति द्वारा सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की अनुशंसा

की गई तथा निर्णय लिया गया कि व्यय की स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

28/5/19 28-5-19 28/5/2019

(कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल),
उप सचिव।

(जय प्रकाश मंडल),
आंतरिक वित्तीय सलाहकार–सह–विशेष सचिव।

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 2ब०/गै०यो०–19–03/2012 2658 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–29-5-19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचानार्थ प्रेषित।

29/5/19

सरकार के उप सचिव।